

गोयल प्रिटिंग प्रेस, विदिशा

प्रमाण-पत्र

मूल-निवासी



प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ... रामार्जिंद ... ठाकुर
आत्मज / आस्त्रजा / परिन / श्री ... ठार्मोहर्षिंद ... ठाकुर ... निवासी ठिकायिधा ...
तहसील ... किलिशा ... म० प्र० का / कई निवासी हैं ।

क्योंकि वह—

म० प्र० में पैदा हुआ / हुई / अथवा
वह पालक / वेद अभिभावक म० प्र० में निरत्तर कम से कम १५ वर्ष से रह रहा।
है। अथवा — ।

उसके पालकों / मैं से कोई राज्य शासन का सेवारत या निनृत कर्मचारी है अथवा
केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत है अथवा—
वह स्वयं अथवा उसके गालक राज्य में पिछ्ने पांच सालों से कोई अचल सम्पत्त या उद्योग
या घ्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त—

उसने अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक
प्राप्त की है। अथवा— ।

उसने म० प्र० में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम
एक परीक्षा पास की हो ।

- (अ) उच्चतर माध्यमिक कक्षा की परीक्षा ।
- (ब) आठवीं कक्षा की परीक्षा ।
- (स) चौथी कक्षा की परीक्षा ।
- (द) अन्य कोई परीक्षा जो उससे पास की हो ।

नोट—जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जावे ।

प्राप्तिका तात्त्विकार्थी,
कल्पना द्वारा